न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 68 / 2020

हरफुलसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र बेगाराम उर्फ बेगराम जाति जाट निवासी कुलहरियों की ढाणी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नाराणाराम उम्र 43 वर्ष
2. कमलेश पुत्री फूलाराम आयु 31 वर्ष
3. करणीराम पुत्र हरलाल आयु 27 वर्ष
4. किताबों पत्नी पूर्णाराम आयु 65 वर्ष
5. जगदीश पुत्र चिमनाराम आयु 53 वर्ष
6. ज्यानकी देवी पत्नी नाराणाराम आयु 65 वर्ष
7. तेजपाल पुत्र पूर्णाराम आयु 38 वर्ष
8. धनकोरी पत्नी मोबाराम आयु 55 वर्ष
9. धन्नी पत्नी अमराराम आयु 77 वर्ष
10. नरेन्द्र पुत्र मोहरसिंह आयु 25 वर्ष
11. प्रकाशदेवी पत्नी मोहरसिंह आयु 40 वर्ष
12. परमेश्वरी देवी पत्नी केशरदेव आयु 50 वर्ष
13. बलबीर पुत्र पुर्णाराम आयु 47 वर्ष
14. भागीरथराम पुत्र नाराणाराम आयु 46 वर्ष
15. महेन्द्र पुत्र पुर्णाराम आयु 34 वर्ष
16. महेश पुत्र मोहरसिंह आयु 28 वर्ष
17. मोहनी देवी पत्नी फुलाराम आयु 63 वर्ष
18. राजेन्द्र पुत्र फुलाराम आयु 38 वर्ष
19. रामलाल पुत्र मूलाराम आयु 78 वर्ष
20. विकाससिंह पुत्र मोबाराम आयु 33 वर्ष
21. विजेन्द्र सिंह पुत्र केशरदेव आयु 34 वर्ष
22. विनोद पुत्री फुलाराम आयु 35 वर्ष
23. करणीराम पुत्र हरलाल आयु 27 वर्ष
24. सुनिता पुत्री हरलाल आयु 34 वर्ष
25. कविता पुत्री हरलाल आयु 31 वर्ष
26. शिशराम पुत्र अमराराम आयु 49 वर्ष
27. शिशराम पुत्र पुर्णाराम आयु 44 वर्ष
28. संजयकुमार पुत्र मोबाराम आयु 31 वर्ष
29. संदीप कुमार पुत्र केशरदेव आयु 31 वर्ष
30. सुनिता पुत्री फुलाराम आयु 41 वर्ष
31. सुभिता पुत्री नारानाराम आयु 40 वर्ष
32. सुमन पुत्री मोबाराम आयु 28 वर्ष
33. सरोज पुत्री मोहरसिंह आयु 31 वर्ष
34. सुशीला पुत्री पुर्णाराम आयु 32 वर्ष
35. हेतराम पुत्र नाराणाराम आयु 38 वर्ष

36. सुनिता पुत्री हरलाल आयु 34 वर्ष
37. कविता पुत्री हरलाल आयु 31 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी भामु का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
38. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
39. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबंधक
40. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 27.04.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भामु का बास पटवार हल्का कोदेसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 3.16 है0 आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जो प्रार्थी के पिता बेगराज द्वारा क्रयशुदा भूमि है। उक्त भूमि ख0न0 87 तथा ख0न0 85 व 86 पूर्व में एक ही खसरा नम्बर का हिस्सा थे बाद विभाजन प्रार्थी के पिता के कब्जे काश्त की भूमि के ख0न0 87 बने जिस पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने–जाने हेतु ग्राम दुलचास से भामु का बास जाने वाले रास्ते से नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी तक पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आवागमन करता रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्त में प्रार्थी को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये भूमि ख0न0 85 व 86 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ते को 3 मीटर चौड़ा कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 5 ने स्वयं उपस्थित होकर रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने की शर्त पर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 37 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं 3 मीटर चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 414 दिनांक 16.02.2021 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ख0न0 87 में आवागमन हेतु कोई कटानी रास्ता नहीं है। ख0न0 85 व 86 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 85 व 86 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अप्रार्थी संख्या 5 ने रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने की शर्त पर रास्ता दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 87 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 85 व 86 में से पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे 3 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 27/4/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर